136

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/4382 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2018 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़, भोपाल प्रकरण क्रमांक 0023/अ-12/17-18.

---

1. मनोज
2. तरूण आ. श्री लक्ष्मणदास मूलचंदानी
3. सुनील
4. मुकेश
5. दिनेश
6. हरीश आ. श्री गोपीचंद मूलचंदानी
7. जय आ. श्री बहादुर सिंह

समस्त निवासीगण 51, ईदगाह हिल्स

भोपाल, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती माला बांठिया पत्नी श्री बी.एस. बांठिया
2. यशवंतसिंह आ. श्री धरमचंद

निवासीगण 22, करबला रोड, भोपाल .....अनावेदकगण

श्री टी.आर. गौर, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री राजेश गिरी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/10/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत्त संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ भोपाल द्वारा पारित दिनांक 30.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा कृषि भूमि खसरा क्रमांक 80/1(क) रकबा 4.28 एकड़ स्थित ग्राम हलालपुर, तहसील हुजूर भोपाल की भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन तहसीलदार, हुजूर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 0023/अ-12/17-18 दर्ज कर दिनांक 16.05.2018 को सीमांकन का सूचना पत्र पड़ोसी काश्तकारों को देने के उपरांत सीमांकन की तिथि दिनांक 30.05.2018 नियत की गई एवं दिनांक 30.05.2018 को राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया। उक्त सीमांकन में आवेदकगण द्वारा दिनांक 31.05.2018 को आपत्ति प्रस्तुत की गई, परंतु आपत्ति पर ध्यान न देते हुए सीमांकन में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा किया गया सीमांकन विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त सीमांकन के पंचनामा प्रतिवेदन पर कहीं नहीं दर्शाया है कि अनावेदकगण की किस-किस व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है, मात्र नक्शे में दर्शाया है कि आवेदकगण की कृषि भूमि खसरा क्रमांक 80/2 पर चिन्हित किया है।

(3) संहिता की धारा 129 में स्पष्ट प्रावधान है कि पड़ोसी काश्तकारों को सीमांकन सूचना पत्र दिया जावेगा एवं पड़ोसी काश्तकारों की उपस्थिति में ही सीमांकन किया जावेगा, परंतु उक्त प्रकरण में आवेदकगण को सीमांकन का सूचना पत्र भी नहीं दिया गया है।

(4) आवेदकगण को सीमांकन की जानकारी दिनांक 31.05.2018 को हुई, आवेदकगण द्वारा दिनांक 31.05.2018 को राजस्व निरीक्षक के समक्ष इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई

कि आवेदकगण द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 28.03.1975 से निरन्तर कब्जा है, इसलिए भी सीमांकन कार्यवाही नहीं की जा सकती। उक्त आपत्ति का निराकरण न करते हुए आदेश पारित कर दिया गया।

(5) सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी काश्तकार हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार की अनुपस्थिति में किया गया सीमांकन स्वत: निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए आवेदकगण की उपस्थिति में सीमांकन किए जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से सीमांकन कार्यवाही कर सीमांकन आदेश दिनांक 30.05.2018 पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मनोज को नोटिस तामील है, राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का टी.सी.एम. से विधिवत् सीमांकन कराया गया है। प्रश्नाधीन भूमि पर किसी का कब्जा नहीं होना पाया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश से आवेदक कैसे प्रभावित है, यह भी आवेदक द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। राजस्व निरीक्षण द्वारा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: राजस्व निरीक्षण द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त संत हिरदाराम, बैरागढ़, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर